

भारत सरकार  
भारी उद्योग मंत्रालय  
लोकसभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2913  
10.03.2026 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग

2913. श्री अमर शरदराव काले:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2020-2025 के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग में हुई वृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) घरेलू विनिर्माण के लिए आपूर्ति शृंखला के अनुकूलन को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) घरेलू ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र पर हाल ही में लागू की गई टैरिफ प्रणाली के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में देश में निर्मित होने वाले ईवी घटकों के प्रतिशत का घटक-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को वापस लेने का प्रस्ताव करती है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : वित्त वर्ष 2019-2020 से 2024-2025 के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के वर्ष-दर-वर्ष उपयोग निम्नानुसार है:

(संख्या लाख में)

वित्त वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की संख्या	1.74	1.43	4.59	11.83	16.81	19.68

स्रोत: वाहन पोर्टल

(ख) : इसके अतिरिक्त, भारी उद्योग मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण में आपूर्ति शृंखला के अनुकूलन को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें लागू की हैं:

i. **भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो):** सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ पीएलआई-ऑटो स्कीम को 15.09.2021 को मंजूरी दी। इस स्कीम में न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।

ii. **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने 12.05.2021 को देश में एसीसी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ पीएलआई-एसीसी स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम में 50 गीगावाट घंटे की संचयी एसीसी बैटरी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

iii. **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम :** पीएम ई-ड्राइव 29.09.2024 को अधिसूचित किया गया है। इस स्कीम के लिए 01.04.2024 से 31.03.2028 (ई-दुपहिया और ई-तिपहिया जिसकी अंतिम तिथि 31.03.2026 है, को छोड़कर) तक चार वर्षों की अवधि के लिए ₹10,900 करोड़ का परिव्यय रखा गया है। इस स्कीम का उद्देश्य ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-एम्बुलेंसों, ई-ट्रकों, और ई-बसों की बिक्री को प्रोत्साहित करना है। यह स्कीम चार्जिंग अवसंरचना के विकास तथा वाहन परीक्षण एजेंसियों के स्टरोन्नयन को भी समर्थन प्रदान करती है। पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के माध्यम से निर्दिष्ट इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के घटकों के घरेलू विनिर्माण को अनिवार्य किया गया है।

iv. **सिन्टर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण प्रोत्साहन स्कीम (आरईपीएम स्कीम):** भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ₹7,280 करोड़ के कुल परिव्यय वाली सिन्टर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण प्रोत्साहन स्कीम (आरईपीएम स्कीम) को दिनांक 15.12.2025 को अधिसूचित किया गया। इस पहल का उद्देश्य भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की क्षमता के साथ एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) विनिर्माण प्रारंभ करना है, इससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और भारत को वैश्विक आरईपीएम बाजार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

v. **पीएम ई-बस सेवा- भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम :** 38,000 से अधिक बसों की तैनाती को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से ₹3,435.33 करोड़ परिव्यय की इस स्कीम को दिनांक 28.10.2024 को अधिसूचित किया गया। इस स्कीम का उद्देश्य

सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक होने की स्थिति में ई-बस परिचालकों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

vi. **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को प्रोत्साहन देने की स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) :** भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए यह स्कीम 15.03.2024 को अधिसूचित की गई थी। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम ₹4150 करोड़ का निवेश करना और तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25% और पांचवें वर्ष के अंत में न्यूनतम 50% का घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना आवश्यक है।

(ग) : भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई भी आकलन नहीं किया गया है।

(घ) : देश में विनिर्मित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) घटकों के प्रतिशत से संबंधित आँकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) : वर्तमान में, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*